

कार्यालय कुलसचिव

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर

कंमाक/ए.आ.जी./निविदा/2713/2015-16

जबलपुर दिनांक 9/11/2015

सूचना

पेंशन हेतु जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो कि, विश्वविद्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को सूचित किया जाता है कि, दिनांक 30.11.2015 तक नीचे दर्शित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणिकरण कराकर विश्वविद्यालय की सहायक कुलसचिव कार्यालय में जमा करें, ताकि, नियमित पेंशन का भुगतान किया जा सके ।

1. जीवित रहने का प्रमाण पत्र ।
2. बेरोजागारी रहने/पुनर्नियोजन का प्रमाण-पत्र ।
3. पुनर्विवाह न करने/विवाह न करने का प्रमाण -पत्र ।

(संलग्न :- 03 प्रपत्र)

कुलसचिव

पृ. कंमाक/ए.आ.जी./निविदा/2713-A/2015-16

जबलपुर दिनांक 9/11/2015

प्रतिलिपि :-

1. विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता, समस्त संचालक, समस्त विभागाध्यक्ष, एवं ईकाई प्रमुख को सूचित किया जाता है, आपकी संस्था से सेवानिवृत्त समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें ।

कुलसचिव

कंमष: अगले पृष्ठ पर

जीवित रहने का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी (नाम) श्री/श्रीमती देखा है और वह तारीख में जीवित है। इनको यूको बैंक/स्टेट बैंक आफ इंडिया के खाता क्रमांक द्वारा राशि रु. मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है।

(X) पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नाम एवं मोहर)

बेरोजागारी रहने/पुनर्नियोजन का प्रमाण - पत्र

- (1) मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं किसी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में नियोजित/पुनर्नियोजित नहीं हुआ हूँ/हुई हूँ।
- (2) मैं घोषणा करती हूँ/करता हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् नियोजन स्वीकार किया है और शासन द्वारा इसके साथ लगाई किसी भी शर्त, यदि कोई, हो को उल्लंघन नहीं किया है। मैंने समाप्त हुई वार्षिकी के दौरान वेतन रु. एवं भत्ते प्राप्त किये हैं।

स्थान

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर (X)

दिनांक

पेंशन भोगी का नाम

पुनर्विवाह न करने/विवाह न करने का प्रमाण – पत्र

मैं एतद् घोषणा करती हूँ/करता हूँ कि वार्षिकी के दौरान विवाह/पुनर्विवाह नहीं किया है। मैं यह वचन देता हूँ कि पुनर्वाविह घटना की सूचना विश्वविद्यालय को तुरंत दूंगा/दूंगी।

स्थान

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर (X)

दिनांक

पेंशन भोगी का नाम

अधोहस्ताक्षरी इस बात से सहमत है और वचन देता है कि यदि मेरे पेंशन खाते में पात्रता से अधिक राशि जमा हो जाती है, तो उसे मेरे पेंशन/परिवार पेंशन में से विश्वविद्यालय वसूली करने हेतु अधिकृत होगा।

साक्षी

भवदीय

(1) हस्ताक्षर

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर (X)

नाम

पेंशन भोगी का नाम